



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdlajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2613096/2613033-3 Fax 0291-2613096

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 3850

दिनांक:- 28/02/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की 01/2023 की बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	119/2	04.07.10 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119/2 रकबा 04.07.10 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रास्ते से लिंक हो रहा है उक्त रास्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन-पोल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

—mk

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	119/1	01.01.12 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119/1 रकबा 01.01.12 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त रास्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण रास्ते से लिंक हो रहा है उक्त रास्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	119	03.08.00 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री देमाराम पुत्र श्री रघुनाथराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 119 रकबा 03.08.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

— 2

	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को समर्पित सस्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त सस्ते की चौड़ाई राजस्व रिकार्ड अनुसार 60 फीट की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग दक्षिण दिशा में कटाण सस्ते से लिंक हो रहा है उक्त सस्ते को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉन-पोल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आरा-पारा भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के विन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	124 का पार्ट	21693.78 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी				
विषय:-	राजस्व ग्राम वासनी डोलिया के खसरा संख्या 124 का पार्ट रकबा 21693.78 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पश्चिम में स्थित राजस्व मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए संशोधित 90-क आदेश जोन स्तर पर जारी किया जावे। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित योजना के अनुमोदन/कमिटमेंट बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावे। 				

एजेण्डा संख्या 05 :-



बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डोलिया	124 (पार्ट), 125	57486.23 वर्गगज (48065.80 वर्गमीटर)	फार्म हाउस योजना
आवेदक	श्री कालुराम पुत्र श्री जेताराम जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री दिनेश भण्डारी पुत्र स्व. श्री पारस मल भण्डारी				
विषय:-	राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 (पार्ट), 125 रकबा 57486.23 वर्गगज (48065.80 वर्गमीटर)में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित पूर्ति उपरान्त संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि के पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित राजस्व मार्गों को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के विन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित क्षेत्रफल अनुसार नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते संशोधित 90-क आदेश जोन स्तर पर जारी किया जावें। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित योजना के अनुमोदन वावत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें। 				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	बनाड	290/15	02.10.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री सुरेन्द्र पारीक पुत्र श्री बुधराज पारीक				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 290/15 रकबा 02.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 120 फीट रखे जावें हेतु सडक मध्य से 60 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 				



एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	बनाड	566/3/4, 566/3/5	03.00.00 बीघा में से 02.12.10 बीघा	व्यवसायिक (दुकान)
आवेदक	श्री कुशलचन्द पुत्र श्री मोहनराम, श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री मोहनराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 566/3/4, 566/3/5 रकबा 03.00.00 बीघा में से 02.12.10 बीघा में व्यवसायिक (दुकान) प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि के लगती हुई जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसे ले-आउट प्लान पर अंकित किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैट से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	बनाड	347/2	रकबा 15.00. 00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल, श्री राणाराम, श्री मुन्नाराम, श्री तेजाराम, पि. श्री बुद्धाराम एवं श्रीमती चुकीदेवी बेवा बुद्धाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347/2 रकबा रकबा 15.00.00 बीघा, आवेदित रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. भूखण्ड संख्या 16-19 के सामने प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखा जा कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 				


5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस वावत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस वावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	वासनी वैन्दा	54/1/3	07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स सिल्वर लाईन विल्डहोम प्रा.लि जरिये श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम वासनी वैन्दा के खसरा संख्या 54/1/3 रकबा 07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि विकासकर्ता द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि, जोजरी नदी के सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़क एवं वृक्षारोपण पट्टी एवं त्रिभुजाकार भू-पट्टी को योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि नियोजन की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को भी योजना में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित था। विचार विमर्श उपरान्त योजना से लगती हुयी प्रार्थी की भूमि यथा जोजरी नदी के सहारे जोनल डवलपमेंट में प्रस्तावित सड़क एवं वृक्षारोपण पट्टी तथा त्रिभुजाकार भू-पट्टी की भूमि को आवेदित भूमि में सम्मिलित करते हुए प्रार्थी से संशोधित आवेदन जोन स्तर पर प्राप्त कर तदानुसार 90-क के संशोधित आदेश उपरान्त नवीन योजना मानचित्र प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डांगियावास	261/5	04.00.00 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री प्रहलाद पुत्र श्री छीत्तर जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261/5 रकबा 04.00.00 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वावत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावे। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।				



3.	आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
4.	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डांगियावास	173/2 व 174/1	10.00.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मांगीलाल सरगरा पुत्र श्री जरसाराम सरगरा				
विषय:-	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 173/2 व 174/1 रकबा 10.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 24 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 12 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				



एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डांगियावास	262/5	रकबा 02.10.00 बीघा में से 00-10-7.5 बीघा	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बीरबल पुत्र श्री भंवरलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 262/5 रकबा रकबा 02.10.00 बीघा में से 00-10-7.5 बीघा में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। 2. राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम-2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडी जावें एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। 3. आवेदित भूमि के 50 मीटर परीधि में कमिटमेंट की रिपोर्ट प्राप्त कर कोई आवासीय/स्कूल/हास्पिटल कमिटमेंट नही होने की स्थिति में ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/एन.जी.टी./संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 5. एन.एच.ए.आई. से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तों की पालना आवेदक एवं जोन स्तर पर की जावे। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेण्डा संख्या 13 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	डांगियावास	261/6	03.10.17 बीघा	नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती बबरीदेवी पत्नी श्री रामचन्द्र				
विषय:-	राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261/6 रकबा 03.10.17 बीघा में नॉन पाल्यूटेड हैण्ड्रीकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी की भूमि में से सडक 				

—

	<p>मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार के पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें।</p> <p>2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।</p> <p>3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें।</p> <p>5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	--

एजेण्डा संख्या 14 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	नान्दडा कलां	264/2	12.18.00 बीघा में से 08.04.13 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 264/2 रकबा 12.18.00 बीघा में से 08.04.13 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व अनुमोदित ले-आउट से योजना को उपलब्ध पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, अतः पूर्व अनुमोदित योजना एवं राजस्व मानचित्र को प्रस्तावित योजना के परिप्रेक्ष्य में सुपरइम्पोज करते हुए पहुँच मार्ग की स्पष्ट रिपोर्ट जोन उपायुक्त से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 15 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	नान्दडा कलां	249/6	01.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती अनिता पत्नी श्री संजय कुमार, श्री विशाल कुमार, सौरभ कुमार पि. श्री संजय कुमार, श्री कशिश कुमार पुत्री श्री संजय कुमार जरिये आममुख्यार श्री झन्कारमल पुत्र स्वं श्री रामेश्वरलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/6 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. आवेदित भूमि को अन्य योजना से 30 फीट की सडक लग रही है जिसे योजना की 40 फीट सडक से लिंक करते हुए तथा पार्क का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 प्रतिशत रखते हुए संशोधित ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 				



3.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7.	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।

एजेण्डा संख्या 16 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	उचियारडा	135/7, 137	11.09.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री पप्पाराम, श्री भारतराम, अर्जुन पुत्र श्री पप्पाराम, श्री बाबुलाल पुत्र श्री कोजाराम, श्रीमती मुनकी पत्नी श्री कोजाराम, श्रीमती कमली पत्नी श्री स्वरूपराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 135/7, 137 रकबा 11.09.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है उक्त मार्ग आवेदित भूमि में से गुजर रही मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क से लिंक हो रहा है जिसे मानचित्र में दर्शाया जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर व मास्टर डवलपमेंट प्लान 30 मीटर सड़क को ले-आउट प्लान में दर्शाया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 				

एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-1	उचियारडा	84/1/3, 84/1 वगैरह	97.19.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बलवन्त राम पुत्र श्री रामचन्द्र एवं श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री रामप्रताप।				


विषय:-	राजरव ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 84/1/3, 84/1 वगैरह रकवा 97.19.00 बीघा में आवासीय योजना के अनुमोदित प्लान अनुसार पार्क एवं फेसिलिटी क्षेत्र में संशोधन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कुल सामान्य भूखण्ड 533 में से 397 अर्थात् दो तिहाई से अधिक भूखण्ड धारियों द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में गौके पर पार्क क्षेत्र में निर्मित पानी की टंकी के क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र में अंकित करते हुए योजना में आरक्षित सुविधा क्षेत्र को में समतुल्य क्षेत्र को पार्क दर्शाते हुए ले-आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.02.2023 के एजेण्डा संख्या 14 के अनुसार शुल्क जोन उपायुक्त द्वारा वसूल किया जावे।

एजेण्डा संख्या 18 :-

विषय :- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की गत बैठक दिनांक 06.12.2022 के जोन 1 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


28/02/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3851-56 दिनांक:- 28/02/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


28/02/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 06.12.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन-1) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


28/02/2023
उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर